कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17-अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष : 0755-2570414, फैक्स : 0755-2555162, E-Mail : sveepmp@gmail.com

// प्रेस नोट //

विषय : सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी मामलों की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति ।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चुनावी प्रचार-प्रसार के दौरान निर्वाचन संबंधी कानूनों तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों पर निगरानी हेतु विशेष निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के लिये आदर्श आचार संहिता जारी की है तथा प्रचार-प्रसार एवं सार्वजनिक मंचों पर इसका पालन किया जाना आवश्यक है। आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का पालन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फेक न्यूज, गलत अथवा झूठा समाचार/सूचनाएं घृणास्पद भाषण आदि के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी कन्टेन्ट के संबंध में यदि आचार संहिता के उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी उसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के कार्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी को यह जानकारी प्रेषित करेंगे। मामलें की पुष्टि होने के पश्चात उसे भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जावेगा, जहाँ नियुक्त नोडल अधिकारी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म के प्रमुख से उक्त कन्टेन्ट की पुष्टि करायेंगे। मामला सही पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।